


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
--------	------------	--

06 ¹⁰/₂₅ पत्रावली पेश हुईने बार-बार
 आवाज दिलाने पर भी सायलान
 तां इन्हे अप्रियता उप. नलीं हूण। अतः
 मु. नं. 34/2023 उनवान मानसिंह
 बंमाम जगदीश ताम्ना पत्र बध्दत अस्थायी
 मिषैव्याजा अडम चैरवी अडम हाजिरी में
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
 शुमाद ठौनड वाड तकमील नं. से नम
 की जाकर मूल रावे के साथ शामिल
 मिसाल रहे।

आदेश खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कौली)